फाइल सं. ए.12018/08/2024-एमएच-II (एफटीएस सं. 8259870)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन नई दिल्ली-110011

दिनांक 03 सितम्बर, 2024

नोटिस

यह मंत्रालय स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आरएचटीसी अस्पताल, नजफगढ़ में नेत्र विज्ञान सहायक/रिफ्रेक्शनिष्ट के पदों के लिए भर्ती नियम बनाए जाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों के प्रारूप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए भर्ती नियम बनाने के प्रस्ताव पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ विचार करने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा नंबर 401-डी, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में भेजी जाएं और सॉफ्ट कॉपी anuradha.ramakrishan@nic.in पर भेजी जाए।

अनुराधा. आर. के

(अनुराधा रामकृष्णन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:-23061640

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र
नज़फगढ़, नई दिल्ली-110043

अधिसूचना

सा.का.नि. -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरएचटीसी अस्पताल, नज़फगढ़/ आरएचटीसी नज़फगढ़, नई दिल्ली में **नेत्र विज्ञान सहायक/रिफ्रेक्शनिष्ट** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्: –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आरएचटीसी अस्पताल, नज़फगढ़/ आरएचटीसी नज़फगढ़, नई दिल्ली, **नेत्र विज्ञान सहायक/रिफ्रेक्शनिष्ट**, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2). ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर**- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदिः** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**- जहाँ केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची का प्रारूप

नेत्र विज्ञान सहायक/रिफ्रेक्शनिष्ट के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
नेत्र विज्ञान सहायक/रिफ्रेक्शनिष्ट	01* (2024) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (रु. 29200 – 92300/-)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही
6	7	8
आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तरीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षदीप के लिए विहित की गई है।	(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/अस्पताल से दृष्टिमिति में डिग्री या समकक्ष; (ख) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। अथवा (क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/अस्पताल से दृष्टिमिति में डिप्लोमा; (ख) सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्रधीकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसुचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
9	10	11
दो वर्ष	सीधी भर्ती; ऐसा न होने पर	प्रतिनियुक्तिः

टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा	केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त या वैधानिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) जिन्होने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 4 (रु. 25500 – 81100/-) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और (ख)कॉलम-7 में दी गई निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते होः टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंदीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से आधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अतिंम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
12	**13**
विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नज़फगढ़-अध्यक्ष; 2. अस्पताल/चिकित्सा अधीक्षक, आरएचटीसी अस्पताल-सदस्य; 3. उप निदेशक, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में आरएचटीसी, अस्पताल का काम देख रहे हैं-सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।